बैठक दिनांक 28.10.2022
महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई–मेल
संख्या– 2753/आठ–3–2022

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 2 | अक्टूबर, 2022**

विषयः– **गुजरात राज्य में लागू 'द गुजरात टाउन प्लानिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट एक्ट–1976' में प्राविधानित टाउन प्लानिंग स्कीम तथा लोकल एरिया प्लान सम्बन्धी प्राविधानों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में सम्मिलित किये जाने, टी0डी0आर0 नीति के अन्तर्गत रिसीविंग जोन्स के चिन्हांकन एवं जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2185(3)/आठ–3–2022 दिनांक 03.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–814/न.नि./टी.पी.एस.(47)/2022–23, दिनांक 17.08.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये 'द गुजरात टाउन प्लानिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट एक्ट–1976' में प्राविधानित टाउन प्लानिंग स्कीम तथा लोकल एरिया प्लान सम्बन्धी प्राविधानों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर सुझाव/अभिमत शासन तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– अवगत कराना है कि गुजरात राज्य में लागू 'द गुजरात टाउन प्लानिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट एक्ट–1976' में प्राविधानित टाउन प्लानिंग स्कीम तथा लोकल एरिया प्लान सम्बन्धी प्राविधानों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में सम्मिलित किये जाने, टी0डी0आर0 नीति के अन्तर्गत रिसीविंग जोन्स के चिन्हांकन एवं जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु **प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.10.2022 को अपरान्ह् 04:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।**

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 'द गुजरात टाउन प्लानिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट एक्ट–1976' में प्राविधानित टाउन प्लानिंग स्कीम तथा लोकल एरिया प्लान सम्बन्धी प्राविधानों को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर सुझाव/अभिमत शासन तथा नगर एवं ग्राम नियोजन

कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को आज ही उपलब्ध कराते हुए उक्त आहूत बैठक में **वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से** ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किये जाने हेतु आई0डी0 एवं पासवर्ड यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण से अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण से भिज्ञ **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर** के विशेषज्ञ को उक्त बैठक में **वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से** ससमय प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किये जाने के संबंध में स्वरतर से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित उक्त बैठक में प्राधिकरणों से अभिमत / सुझाव प्राप्त कर सुसंगत सूचनाओं / सुझावों सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित उक्त बैठक में सुसंगत सूचनाओं / सुझावों सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(4) श्री एन0आर0 वर्मा, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित उक्त बैठक में सुसंगत सूचनाओं / सुझावों सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(5) श्री जी0एस0 गोयल, सलाहकार, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित उक्त बैठक में सुसंगत सूचनाओं / सुझावों सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।